# राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**अपीडी/टी.ए./2499/2005/हनुमानगढ**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

1. रामलाल पुत्र चुन्नीलाल (मृतक) जरिए वारिसान :–
   1.1 हरीसिंह पुत्र स्व0 रामलाल
   1.2 रामकुमार पुत्र स्व0 रामलाल
   1.3 जमनालाल पुत्र स्व0 रामलाल
   1.4 कृष्णलाल पुत्र स्व0 रामलाल
   1.5 कुन्ती पुत्री स्व0 रामलाल
   1.6 परमेश्वरी पुत्री स्व0 रामलाल
   1.7 फूला देवी पुत्री स्व0 रामलाल
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी जाटान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
2. पतराम पुत्र जगमाल(मृतक) जरिए वारिसान :–
   2.1 रुकमा देवी पत्नि स्व0 पतराम
   2.2 रामसिंह पुत्र स्व0 पतराम
   2.3 मुंशीराम पुत्र स्व0 पतराम
   2.4 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 पतराम
   2.5 सावित्री पुत्री स्व0 पतराम
   2.6 गीतादेवी पुत्री स्व0 पतराम
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी जाटान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

**...रेस्पोडेन्ट**

**खण्ड पीठ**
**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**
**श्री पंकज नरुका, सदस्य**

उपस्थित–
श्री ओ0पी0 भट्ट, राज0 उप अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मनीष पण्ड्या, अभिभाषक रैस्पो0

दिनांक : 20.10.2020

## निर्णय

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 61/2003 शीर्षक 'सरकार बनाम रामलाल' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा के समक्ष वादी/वर्तमान अपील के रैस्पो0 द्वारा वादपत्र आर0टी0ए0, 1955 की धारा 88, 89 के तहत ग्राम जाटान के खाता संख्या 129/176 के खसरा नम्बर 25 की 8.195, खसरा नम्बर 26 की 10.686, खसरा नम्बर 35 की 2.302 है0 कुल 21.183 है0 एवं ग्राम बामलवास के खाता नम्बर 68/70 के मु0नं0 36 के कि0नम्बर 15 ता 18, 23 ता 25, मु0नं0 37 के किला नम्बर 11,

20, 21 मु0नं0 44 के कि0नम्बर 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0नम्बर 45 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21, मु0नम्बर 63 के किला नम्बर 1, 10, 11, मु0नम्बर 64 के किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17 कुल 35 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी दोनों ने प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पारिवारिक समझौता कर कृषि भूमि का बॅटवारा कर रखा है जिसमें वादी रामलाल ग्राम जाटान की भूमि को एवं प्रतिवादी पतराम ग्राम बामलवास की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी भूमि अदला बदली करने हेतू राजी है और प्रतिवादी ग्राम बामलवास की कृषि से अपना हिस्सा छोड़ने हेतू राजी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अनुतोष चाहा कि ग्राम जाटान के खाता संख्या 129/176 के खसरा नम्बर 25 की 8.195, खसरा नम्बर 26 की 10.686, खसरा नम्बर 35 की 2.302 है0 कुल 21.183 है0 में पतराम के 10.585 हिस्सा कि जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। प्रतिवादी संख्या 1 पतराम की ओर से वादपत्र में अपनी तरफ से इकबाल दावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04.07.2002 से दावा वादी डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने निर्णय दिनांक 28.02.2005 से प्रथम अपील को खारिज किया जिसके विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– बहस के दौरान योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होंने कथन किया कि वास्तव में पक्षकारान ने अपनी भूमि का एक दूसरे के पक्ष में हक परित्याग किया हैं और इस प्रकार से राज्य सरकार से मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क बचाने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है। मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सह–स्वामी या कोई सह–हिस्सेदार अपने परिवार के सदस्य के हक में भूमि छोड़ता है तो उसका पंजीयन आवश्यक है और इसी प्रकार पारिवारिक समझौते का भी पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। पंजीबद्ध होये बिना इन दस्तावेजात को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के स्तर पर जो तनकियात कायम की हैं उन्हें किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से परीक्षण न्यायालय ने विवेचित नहीं किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अपील स्वीकार कर इन्हें निरस्त किया जाये।

5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 ने कथन किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादी गण के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया था और समझौते के अनुसार ही भूमि का विभाजन किया गया है। प्रश्नगत भूमि ग्राम जाटान के खाता संख्या 129/176 के खसरा नम्बर 25 की 8.195, खसरा नम्बर 26 की 10.686, खसरा नम्बर 35 की 2.302 है0 कुल 21.183 है0 में से 10.585 है0 को विधिसम्मत् रूप से पतराम वल्द जगमाल के बजाय रामलाल के नाम खातेदारी में दर्ज किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है अतः अपील खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा के समक्ष वादी/वर्तमान अपील के रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा वादपत्र ग्राम जाटान के खाता संख्या 129/176 के खसरा नम्बर 25 की 8.195, खसरा नम्बर 26 की 10.686, खसरा नम्बर 35 की 2.302 है0 कुल 21.183 है0 एवं ग्राम बामलवास के खाता नम्बर 68/70 के मु0नं0 36 के कि0नम्बर 15 ता 18, 23 ता 25, मु0नं0 37 के किला नम्बर 11, 20, 21 मु0नं0 44 के कि0नम्बर 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0नम्बर 45 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21, मु0नम्बर 63 के किला नम्बर 1, 10, 11, मु0नम्बर 64 के किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17 कुल 35 बीघा के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि पारिवारिक समझौते में कृषि भूमि का बॅटवारा कर रखा है जिसमें वादी रामलाल ग्राम जाटान एवं प्रतिवादी पतराम ग्राम बामलवास की भूमि काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी भूमि अदला बदली करने हेतू राजी हैं और प्रतिवादी ग्राम बामलवास की कृषि से अपना हिस्सा छोड़ने हेतू राजी है। अतः ग्राम जाटान के खाता संख्या 129/176 के खसरा नम्बर 25 की 8.195, खसरा नम्बर 26 की 10. 686, खसरा नम्बर 35 की 2.302 है0 कुल 21.183 है0 में पतराम के 10.585 हिस्सा कि जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। प्रतिवादी संख्या 1 पतराम की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04.07.2002 से दावा वादी डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.02.2005 से अपील को खारिज किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज प्रदर्श पी.1 एक त्यागपत्र दस्तावेज हैं जिसमें रामलाल द्वारा ग्राम चक 1 बी.बी.एम. के खाता नम्बर 68/70 के मु0नं0 36, 37, 44, 45, 63, 64 की भूमि का पतराम के पक्ष में दस्तवरदारी की गई। प्रदर्श पी.3 जमाबन्दी है जिसमें रामलाल का हिस्सा 350, पतराम का हिस्सा 230 ग्राम जाटान के प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर दर्ज है। प्रस्तुत दावे में वादी द्वारा ग्राम जाटान की भूमि के सम्बन्ध में घोषणा चाही गई है जब कि इसके सम्बन्ध में प्रतिवादी पतराम ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह भूमि वादी के नाम दर्ज कर दी जाये तो उन्हें ऐतराज नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी ने दो पृथक–पृथक खातों और पृथक–पृथक ग्रामों की जमीन का विश्लेषण करते हुए यह माना है कि ग्राम 1 बी.बी.एम. में रामलाल द्वारा पतराम के हक में हकत्याग किया गया है और मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह माना है कि ग्राम जाटान की पतराम की आधे हिस्से की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का रामलाल अधिकारी है। यह अभिमत विधिविरुद्ध है क्योंकि किसी भी भूमि का हस्तांतरण केवल विक्रय पत्र आदि के आधार पर किया जा सकता है जब कि प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा कोई विक्रय पत्र रिकार्ड पर नहीं है। जहॉ तक चक 1 बी.बी.एम. की भूमि रामलाल द्वारा पतराम के हक में हकत्याग का प्रश्न है वह एक पृथक खाता हैं जिसको दूसरे गॉव से लिंक नहीं किया जा सकता है। स्पष्टतया वादी द्वारा जो अपने वाद में यह अंकित किया है कि 50 वर्षो से वादी रामलाल ग्राम जाटान स्थित भूमि काश्त करता आ रहा है और मुताबिक कब्जा काश्त पारिवारिक समझौते से भूमि अदला बदली करली गई, यह तथ्य रिकॉर्ड से साबित नहीं होता है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा खातेदारी प्रदान की गई है जो विधि विरूद्ध है। राजकीय अधिवक्ता ने भी दावे में दिये गये जवाब दावे में पैरा संख्या 6 में स्पष्ट अंकित किया है कि पतराम अपने हिस्से की ग्राम जाटान की भूमि रामलाल के नाम करना चाहता है जो नियम विरूद्ध है। वादी व प्रतिवादी दोनो की मंशा दावे में अपनी भूमि एक्सचेंज करने की रही है जो निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा

कराने से ही संभव है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री करने में अनियमितता की है और राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय में गलत प्रकार से अभिमत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी सारवान होने से स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

8– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपील अपीलार्थी **स्वीकार** की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2002 निरस्त किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(पंकज नरुका)**
**सदस्य**

**(मनोज कुमार नाग)**
**सदस्य**